Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431

PWD Uttarakhand

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0
उत्तराखण्ड़ देहरादून

Website-http://pwd.uk.gov.in
E-Mail-cepwdua@rediffmail.com

पत्रांकः– 300/10आधि/प्राप्ति/2014

दिनांक 21.05.2014

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी के विभिन्न कार्यस्थलों के भ्रमण के दौरान यह दृष्टिगोचर हुआ है कि :

1. लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित मोटर मार्गों में विशिष्टियों के अनुरूप Cross fall अथवा Camber का प्राविधान नहीं किया जा रहा है।
2. Hill side drain/ Longitudinal drain का प्राविधान भी पूर्ण लम्बाई में तथा आवश्यक गहराई एवं slope के अनुसार नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त कारणों से मार्ग की सतह से पानी की निकासी भली प्रकार न हो पाने के कारण मार्ग की सतह समय से पूर्व क्षतिग्रस्त हो रही है। इससे जहाँ एक ओर वित्तीय हानि हो रही है, वहीं दूसरी ओर, विभाग की छवि धूमिल हो रही है।

अतः उपरोक्त सम्बन्ध में निम्न दिशानिर्देश दिये जाते हैं :–

1. समस्त मोटर मार्गों में Cross slope/ Camber का प्राविधान IRC: SP: 20-2002 के clause संख्या 6.5.1.2 के अनुसार निम्न प्रकार किया जाए :

Cross slope /camber for different surface types

Surface Type	Camber (per cent)	
	Annual Rainfall (less than 1000 mm)	Annual Rainfall (more than 1000 mm)
Earth	4.0	5.0
W.B.M. and Gravel	3.5	4.0
Thin Bituminous Surface	3.0	3.5
Rigid Surface	2.0	2.5

2. समस्त मोटर मार्गों पर सम्पूर्ण लम्बाई में Longitudinal drain का प्राविधान सुनिश्चित किया जाए। अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1342/10 अधि0प्राप्ति0/13 दिनॉक 27/09/2013 द्वारा K.C. type drain की drawings जारी की गई हैं। कार्यस्थल पर इन drawings के अनुसार ही drains का निर्माण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

कार्यस्थल पर यह भी देखा गया है कि मोटर मार्गों के horizontal curves पर superelevation का प्राविधान सही प्रकार से नहीं किया जा रहा है।

Superelevation, जिसका प्राविधान Horizontal curves पर Centrifugal force को Counter act करने के लिए किया जाता है, की गणना निम्न प्रकार की जाती है :–

$$e = \frac{v2}{225R}$$

e: *superelevation in metre per metre*
v: *design speed in km/hr*
R: *radius of curve in metres.*

यहाँ यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि उपरोक्तानुसार गणना किया गया superelevation निम्न से अधिक ना हो :–

1. Plain & Rolling Terrain : 7%
2. Snow Bound Areas : 7%
3- Hilly Area but not Snow Bound : 10%

समस्त मार्ग निर्माण कार्यों में उपरोक्त निर्देशों का कढाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्रमुख अभियन्ता
लो0नि0वि0, देहरादून

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य अभियन्ता कुमायूँ क्षेत्र/गढ़वाल क्षेत्र लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा/हल्द्वानी/पौड़ी/देहरादून उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त का शत प्रतिशत अनुपालन अधीक्षण अभियन्ताओं के माध्यम से करवाना सुनिश्चित करें :
3. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर I, II कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–I, लो0नि0वि0 देहरादून।
4. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0), कार्यालय विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता
लो0नि0वि0, देहरादून